बिहार सरकार
सहकारिता विभाग।
।। संकल्प ।।

विषय :- **बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 की स्वीकृति।**

बिहार में सहकारिता आंदोलन को सशक्त एवं भविष्योन्मुखी बनाने तथा विकसित बिहार की परिकल्पना में सहकारिता की वृहद् भूमिका सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 का सूत्रण किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य बिहार के विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल एक ऐसी सहकारी व्यवस्था विकसित करना है, जो आत्मनिर्भर, समावेशी एवं सतत् विकासशीलता की अवधारणा पर आधारित हो।

2. **बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026** के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(i) **विजनः-** "सशक्त सहकारिता-समृद्ध बिहार" :- सशक्त, समावेशी एवं बहुआयामी सहकारी व्यवस्था के माध्यम से ''समृद्ध एवं विकसित बिहार'' के लक्ष्य को प्राप्त करना।

(ii) **मिशनः-** परंपरागत सहकारी संरचना को सुदृढ़ करते हुए सहकारी समितियों को आधुनिक, उत्तरदायी एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक ईकाइयों में रूपांतरित करना, नए एवं गैर परंपरागत क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से उन्हें भविष्य की चुनौतियों व अवसरों के लिए सक्षम बनाना। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सहकारिता के माध्यम से समावेशी, सतत विकास और आत्मनिर्भर ग्राम के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

(iii) **रणनीतिः-** बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहकारी समितियों को सशक्त, आत्मनिर्भर, आधुनिक, समावेशी एवं प्रतिस्पर्धी बनाकर राज्य के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति दिया जायेगा। इसके लिए कानूनी एवं संस्थागत सुधार, विभिन्न विभागीय योजनाओं का अभिसरण, वित्तीय पोषण/सुदृढ़ीकरण तथा सहकारी बैंकिग को मजबूत किया जाएगा। साथ ही सहकारी उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन, ब्रांडिंग, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय विशिष्ट उत्पादों के आधार पर सहकारी क्लस्टर

विकसित किये जाएंगे। सहकारी समितियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं कुशल प्रबंधन प्रणाली का समावेश कर उन्हें भविष्य के अनुरूप सक्षम आर्थिक ईकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा। नीति के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार किया जाएगा तथा सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका को सुदृढ़ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सहकारी शिक्षा, कौशल विकास एवं मानकीकृत प्रशिक्षण व्यवस्था के माध्यम से युवा पीढ़ी को सहकारी उद्यमों से जोड़कर दीर्घकालिक आजीविका के अवसर सृजित किए जाएंगे।

3. **निगरानी और कार्यान्वयन संरचना**— मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में समग्र मार्गदर्शन, अंतर्विभागीय समन्वय एवं नीति कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए ''सहकारिता नीति पर राज्य संचालन समिति'' का गठन किया जाएगा। इस समिति में सदस्य के रूप में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को शामिल किया जाएगा।

4. इस नीति का प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग में एक ''कार्यान्वयन प्रकोष्ठ'' स्थापित किया जाएगा, जिसमें विषय—वस्तु, समन्वय, निगरानी, रिपोर्टिंग इत्यादि पर तकनीकी सहायता प्रदान के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित की जाएगी।

5. बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति अनुलग्नक—1 एवं 2 के रूप में संलग्न है।

6. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू समझा जायेगा।

7. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक—29.07.2026 को मद संख्या—21 पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

3/8/07/26

(धर्मेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7960 /पटना, दिनांक 30.07.2026
3/नि॰ सहकारिता नीति–12/2025

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी॰डी॰ में) तथा हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7960 /पटना, दिनांक 30.07.2026
3/नि॰ सहकारिता नीति–12/2025

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7960 /पटना, दिनांक 30.07.2026
3/नि॰ सहकारिता नीति–12/2025

प्रतिलिपि – मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7960 /पटना, दिनांक 30.07.2026
3/नि॰ सहकारिता नीति–12/2025

प्रतिलिपि – सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागध्यक्ष, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7960 /पटना, दिनांक 30.07.2026
3/नि॰ सहकारिता नीति–12/2025

प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7960 /पटना, दिनांक 30.07.2026
3/नि॰ सहकारिता नीति–12/2025

प्रतिलिपि – निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक(अंकेक्षण सहित)/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक/प्रबंध निदेशक वेजफेड/प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भण्डार निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 7960 /पटना, दिनांक 30.07.2026
3/नि॰ सहकारिता नीति–12/2025

प्रतिलिपि – सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026

विषय सूची

प्रस्तावना

अध्याय–1 :–सहकारिता की पृष्ठभूमि।

अध्याय–2 :–विजन, मिशन एवं रणनीति।

अध्याय–3 :–सहकारिता का सशक्तिकरण।

अध्याय–4 :–सहकारिता के बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहन।

अध्याय–5 :–सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना।

अध्याय–6 :–सहकारी क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देना।

अध्याय–7 :–नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना।

अध्याय–8 :–सहकारी विकास हेतु युवा पीढ़ी को तैयार करना।

अध्याय–9 :–बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 के क्रियान्वयन का अनुश्रवण।

प्रस्तावना

बिहार में सहकारिता आंदोलन को **सशक्त एवं भविष्योन्मुखी** बनाने के लिए तथा विकसित बिहार राज्य की परिकल्पना में **सहकारिता की वृहद भूमिका** सुनिश्चित करने हेतु **बिहार सहकारिता नीति 2026** का सूत्रण किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य बिहार की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल एक ऐसी सहकारी व्यवस्था विकसित करना है, जो **आत्मनिर्भर, समावेशी एवं सतत् विकासशील** हो। इस नीति के कार्यान्वयन के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जा सकेगा। यह सहकारिता नीति एक तरफ जहाँ परंपरागत सहकारी समितियों को आधुनिकतम तकनीक एवं प्रबंधन प्रणाली के द्वारा सशक्त बनायेगी, वहीं नये गैर–परम्परागत क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन, सम्पोषण एवं सम्वर्द्धन का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस नीति के माध्यम से **समाज के सभी वर्गों** को, विशेषकर **युवा पीढ़ी एवं महिलाओं** को सहकारी आंदोलन एवं सहकारी उद्यमों से जुड़ने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह नीति सही अर्थों में **सर्वसमावेशी एवं संतुलित विकास** के द्वारा **''समृद्ध एवं विकसित बिहार''** की परिकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।

अध्याय–1
सहकारिता की पृष्ठभूमि

बिहार में आधुनिक सहकारी समितियों की गतिविधियाँ 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से आरंभ होती है। सहकारी समितियों को वैधानिक रूप प्रदान करने तथा उन्हें विनियमित करने हेतु सर्वप्रथम 1904 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 पारित किया गया। इसके तहत साख सहकारी समितियों के गठन एवं उनके कार्यों का विनियमन किया जाता था। इस अधिनियम के तहत राज्य में सर्वप्रथम 1909 में **"दी रोहिका यूनियन ऑफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०"** का निबंधन हुआ, जो कालांतर में "दी रोहिका सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०" के रूप में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत निबंधित हुआ और आज भी कार्यरत है।

वर्ष 1912 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा को–ऑपरेटिव के दायरे का विस्तार करते हुए क्रेडिट सोसाइटी के साथ–साथ अन्य सहकारी समितियों के गठन एवं विनियमन हेतु को–ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 पारित किया गया। वर्ष 1914 में **बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय सहकारी बैंक** की स्थापना हुई, जो आज भी बिहार राज्य सहकारी बैंक के रूप में कार्यरत है।

भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत सहकारिता विषय को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात विभिन्न प्रांतीय सरकारों के द्वारा अपने राज्य हेतु सहकारी अधिनियम पारित किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1935 में **बिहार एवं उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम** पारित हुआ, जो विभिन्न संशोधनों के साथ आज भी **बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935** के रूप में लागू है। इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के द्वारा **बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959** गठित किया गया है।

राज्य में स्वावलंबी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने एवं उनकी गतिविधियों को विनियमित करने हेतु **बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियिम, 1996** पारित किया गया। इसके तहत स्वावलंबी सहकारी समितियों से संबंधित विवादों के निपटारा हेतु बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिकरण के गठन एवं प्रक्रिया के निर्धारण हेतु **बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिकरण (गठन एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2002** लागू किया गया है।

राज्य की सहकारी समितियों में पारदर्शी निर्वाचन की व्यवस्था हेतु स्वायत्त संस्था का वैधानिक प्रावधान करने वाले अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल है। इस उद्देश्य से **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008** पारित किया गया है। साथ ही, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 में लागू किया गया है। वर्तमान में राज्य की सभी सहकारी समितियों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाता है।

राज्य में अल्पकालिक कृषि साख की त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था लागू है। इसके प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स), मध्यवर्त्ती स्तर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं शीर्ष स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत है। राज्य में **8463** प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, **23** जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक अपनी सेवाएं राज्य के **1.40** करोड़ पैक्स सदस्यों को एवं अन्य ग्रामीण जनता को प्रदान कर रहा है। बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कुल **290** शाखाएँ सहकारी समितियाँ एवं इनके सदस्यों को साख एवं बैंकिंग की सेवाएं दे रही है।

राज्य में पैक्सों द्वारा ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में कृषि साख के साथ–साथ कृषि इनपुट (यथा उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों इत्यादि) की सेवाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही पैक्सों के द्वारा किसानों के उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु सरकार की एजेंसी के रूप में धान/गेहूँ की अधिप्राप्ति की जा रही है।

राज्य के पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने के उद्देश्य से पैक्सों में कॉमन सर्विस सेन्टर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, जनऔषधि केन्द्र एवं कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया गया है।

राज्य में 12249 डेयरी सहकारी समितियाँ निबंधित है। राज्य में 08 डेयरी सहकारी संघ एवं शीर्ष स्तर पर कॉम्फेड कार्यरत है। राज्य सरकार के सात निश्चय 3.0 के तहत वर्ष 2027–28 तक राज्य के सभी गाँवों में डेयरी सहकारी समितियाँ गठित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सहकारी समितियों के पशुपालकों से दूध का संग्रहण कर **'सुधा' ब्राण्ड** के तहत दूध एवं अन्य उत्पादों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन किया जा रहा है।

सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रखंड स्तर पर **523** व्यापारमंडल सहयोग समितियाँ कार्यरत है। राज्य के सभी पैक्स सहित अन्य प्राथमिक सहकारी समितियाँ व्यापारमंडल से संबद्ध है।

वर्त्तमान में राज्य में प्रखण्डस्तर पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ कार्यरत है। राज्य में 528 प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ निबंधित है। इन सहकारी समितियों द्वारा राज्य सरकार के जलकरों की बन्दोबस्ती प्राप्त कर अपने मत्स्यजीवी सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसके अलावे मत्स्यपालन के क्षेत्र में विकास एवं विस्तार में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। प्रखण्डस्तर पर जलकरों के बेहतर प्रबंधन एवं सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रखण्डों के मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का पंचायत स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के साथ पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। साथ ही मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के संघ एवं परिसंघ के गठन की भी आवश्यकता है।

राज्य में बुनकरों के कल्याण एवं विकास हेतु उन्हें बुनकर सहकारी समितियों के तहत संगठित किया गया है। राज्य में वर्त्तमान में 176 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ

एवं 04 क्षेत्रीय बुनकर सहकारी संघ कार्यरत है। इन बुनकर सहकारी समितियों से लगभग 17000 बुनकर जुड़े हुए है।

राज्य में **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना** के तहत प्रखण्ड स्तर पर सब्जी कृषकों की **534** प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियाँ कार्यरत है, जिनसे 01 लाख से अधिक सब्जी कृषक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर **08** सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं शीर्ष स्तर पर **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि० (वेजफेड)** कार्यरत है। इस त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के अन्तर्गत सब्जी कृषकों को उनकी सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने तथा परिवहन–भंडारण क्षति को कम करने एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जियाँ उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत आधारभूत संरचना के निर्माण, कृषकों के प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण इनपुट की उपलब्धता पर विशेष बल दिया जा रहा है।

बिहार एक प्रमुख शहद उत्पादक राज्य है। राज्य के शहद उत्पादकों को द्विस्तरीय सहकारी संरचना के तहत संगठित किया गया है। प्रखण्ड स्तर पर शहद उत्पादकों की प्राथमिक शहद उत्पादक सहकारी समितियाँ गठित की जा रही है। वर्त्तमान में **144** प्रखण्डस्तरीय शहद उत्पादक सहकारी समितियाँ गठित की गयी है। साथ ही राज्य स्तर पर **बिहार राज्य शहद प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0** का भी निबंधन कराया जा चुका है। शहद के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की संस्थागत व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से विकसित की जा रही है।

मखाना उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। राज्य के मखाना उत्पादक कृषकों के हितों की रक्षा एवं उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सहकारिता के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। राज्य मे 45 प्राथमिक मखाना उत्पादक सहकारी समितियों का गठन 06 जिलों में किया गया है। साथ ही राज्य स्तर पर मखाना प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का गठन विचाराधीन है।

राज्य में सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन की समुचित व्यवस्था करने हेतु त्रिस्तरीय सहकारी विपणन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसके लिए व्यापारमण्डल सहकारी समितियों को विशेष रूप से सक्रिय किया जा रहा है। साथ ही प्रमण्डल स्तर पर **सहकारी विपणन संघ** तथा राज्य स्तर पर **बिहार राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन** के गठन की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 08 प्रमण्डल स्तरीय विपणन संघों का गठन एवं निबंधन किया जा चुका है। इस सहकारी विपणन संरचना के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन का राज्यस्तरीय नेटवर्क विकसित किया जाना है।

इस प्रकार वर्त्तमान में बिहार राज्य में 22000 से अधिक सहकारी समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। इन सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या लगभग 1.60 करोड़ है।

राज्य के सहकारी तंत्र को आधुनिक तकनीक आधारित प्रतिस्पर्धी परिवेश में सक्षम एवं प्रासंगिक बनाने के लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है। सहकारी समितियों के कार्यकलाप में उसके सहकारी मूल्यों की रक्षा करते हुए आधुनिक तकनीक एवं प्रबंधन

प्रणाली का समावेश समय की मांग है। साथ ही सहकारी समितियों को सर्वसमावेशी बनाने हेतु इनके उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज विस्तार किया जाना अपेक्षित है। सहकारी समितियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन को प्रोत्साहित करते हुए इनमें नियामक प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है।

भारतीय संविधान के **भाग–3** मौलिक अधिकार **अनुच्छेद 19(1)(c)** के द्वारा सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। भारत के संविधान के भाग–4 **''राज्य के नीति निर्देशक''** सिद्धांतो में शामिल **अनुच्छेद 43B** के द्वारा राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत काम–काज लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का निर्देश प्राप्त है। राज्यान्तर्गत सहकारी समितियों के गठन एवं संचालन का विनिमयन करना सहकारिता विभाग की मुख्य जिम्मेवारी है। सहकारी समितियों का निबंधन, निर्वाचन, निरीक्षण, अंकेक्षण एवं विवादों का निपटारा हेतु प्रशासनिक तंत्र का विकास सहकारिता विभाग के अंतर्गत किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों के सफल संचालन एवं उनके सदस्यों की सुविधा हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ सहकारी समितियों के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन बदलते सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों एवं आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में समाज के विभिन्न वर्गो की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये सहकारिता के विकास हेतु समेकित प्रयास अपेक्षित प्रतीत होता हैं।

06 जुलाई 2021 को केन्द्र सरकार के द्वारा अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में **''राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025''** लागू किया गया है, जिसमें सहकारिता के क्षेत्र में विकास हेतु राज्यों से कतिपय अपेक्षाएँ की गयी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति एवं उसके तहत निर्धारित कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करने एवं राज्य में सहकारिता के विकास हेतु रोडमैप निर्धारण हेतु राज्य सहकारिता नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन आवश्यक हो गया हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये **बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026** का सूत्रण किया गया है। यह नीति राज्य में सहकारिता को सर्वसमावेशी बनाकर एक व्यापक जन आंदोलन में परिणत कर सकेगा। साथ ही सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक एवं कुशल प्रबंधन के द्वारा सदस्यों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाया जा सकेगा।

अध्याय –2

विजन, मिशन एवं रणनीति

2.1 विजन –

"सशक्त सहकारिता–समृद्ध बिहार" :– सशक्त, समावेशी एवं बहुआयामी सहकारी व्यवस्था के माध्यम से समृद्ध एवं विकसित बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करना।

2.2 मिशन –

- परंपरागत सहकारी संरचना को मजबूती प्रदान करने एवं नए गैर–परंपरागत क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार हेतु एक सक्षम वैधानिक, आर्थिक एवं संस्थागत संरचना का निर्माण करना।
- सहकारी समितियों को आधुनिक एवं उत्तरदायी आर्थिक इकाई में रूपान्तरण हेतु सहयोग प्रदान करना।
- सहकारी समितियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने एवं अवसरों का लाभ उठाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन प्रणाली अपनाने में सहयोग करना।
- समावेशिता को बढ़ावा देना एवं समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी उद्यम एवं सहकारी संस्थाओं से जुड़ने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।
- सहकारिता के माध्यम से सतत् विकास (Sustainable Development) एवं आत्मनिर्भर ग्राम के लक्ष्य को प्राप्त करना।

2.3 रणनीति –

बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 के मिशन को प्राप्त करने हेतु निम्नांकित रणनीतिक गतिविधियों को अपनाया जाएगा :–

2.3.1 सहकारिता का सशक्तिकरण :–

2.3.1.1 समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल वैधानिक एवं विनायमक वातावरण निर्मित कर सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यसंचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना।

2.3.1.2 सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों से संबंधित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्योग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, शिक्षा, ऊर्जा, श्रम, ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास आदि द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अभिसरण करना।

2.3.1.3 सहकारी समितियों के लिए सुगम वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना एवं समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।

2.3.1.4 सहकारिता में सहकार को बढ़ावा देना।

2.3.2 सहकारिता के बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहन एवं सदस्यों की आय में वृद्धिः–

2.3.2.1 सहकारी उद्यम एवं व्यवसाय के अनुकूल परिवेश के विकास को प्रोत्साहित करना।

2.3.2.2 सहकारिता के बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहित करना।

2.3.2.3 सहकारी समिति के सदस्यों की आय में वृद्धि हेतु परिवेश तैयार करना।

2.3.3 सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना :–

2.3.3.1 सहकारी समितियों में नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

2.3.3.2 सहकारी समितियों को सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित कुशल–प्रबंधित आर्थिक इकाई में रूपांतरण हेतु सहयोग करना।

2.3.4 सहकारी क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देना :–

2.3.4.1 सहकारिता के क्षेत्र में समावेशिता एवं सदस्य–केन्द्रीयता को बढ़ावा देना।

2.3.4.2 सहकारी संस्थाओं में युवाओं, महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्ग यथा पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग लोगों को जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना।

2.3.4.3 सहकारिता के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना।

2.3.5 नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना :–

2.3.5.1 नए एवं उभरते हुए गैर–परंपरागत क्षेत्रों एवं गतिविधियों में सहकारी समितियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना।

2.3.5.2 राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।

2.3.5.3 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका को प्रोत्साहित करना।

2.3.6 सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना :–

2.3.6.1 युवाओं विशेषकर ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक आजीविका अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना।

2.3.6.2 सहकारिता केन्द्रित उच्च कोटि के मानकीकृत पाठयक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना एवं सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना।

2.3.6.3 सहकारी क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु संरचनात्मक व्यवस्था के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

2.3.6.4 सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन एवं अभ्यर्थियों द्वारा सहकारी समितियों में अवसर प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु संस्थागत व्यवस्था विकसित करना।

———————:———————

अध्याय –3

सहकारिता का सशक्तिकरण

इस नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य में विद्यमान सहकारी संरचना के सशक्तिकरण एवं मौजूदा चुनौतियों के समाधान हेतु अनुकूल परिवेश का निर्माण किया जा सकेगा, जिससे सहकारी समितियों का बहुआयामी एवं संतुलित विकास हो सके। ऐसी वैधानिक एवं आर्थिक संरचना विकसित की जाएगी जिसमें सहकारी समितियाँ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने एवं अवसरों का लाभ उठाने हेतु सक्षम बन सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य के सहकारिता संबंधी विधि में अपेक्षित सुधार, सहकारी समितियों के वित्त पोषण हेतु संस्थागत वित्त की सुलभता एवं सहकारिता में सहकार की भावना के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य में सहकारिता के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा :–

3.1 **समयबद्ध वैधानिक सुधारों के माध्यम से सहकारिता संबंधी विधि एवं नियमों को सहकारी समितियों में ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के अनुकूल बनाया जाएगा।**

3.1.1. राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों एवं नियमावली में यथोचित संशोधन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य निम्नवत होगा –

3.1.1.1 सहकारी समितियों में स्वायत्त कार्यसंचालन एवं लोकतांत्रिक निर्णय की कार्य–संस्कृति सुनिश्चित करना।

3.1.1.2 सदस्यों के लिए सहकारी समितियों की सेवाओं की समयबद्ध एवं पारदर्शी उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

3.1.1.3 सहकारी समितियों के निदेशक मण्डल और पदधारकों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना।

3.1.1.4. सहकारी समितियों में पारदर्शी नियोजन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

3.1.1.5 सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक, पारदर्शी एवं डेटा आधारित निर्णय की कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना।

3.1.2 सहकारी समितियों की उपविधियों में संशोधन/आदर्श उपविधियाँ (Model ByeLaws) के माध्यम से नवाचार एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्कृष्ट कार्यों (best Practices) को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

3.1.3. निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की सम्पूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। इसके परिणामस्वरूप –

3.1.3.1 सहकारी समितियों द्वारा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ किए जाने वाले सभी संव्यवहार एवं संवाद वेब पोर्टल आधारित डिजिटल माध्यम द्वारा किया जा सकेगा।

3.1.3.2 सहकारी समितियों की राज्यस्तरीय डेटाबेस की स्थापना की जा सकेगी और उसे सहकारी प्रक्षेत्र के अन्य डेटाबेस के साथ संबद्ध किया जा सकेगा।

3.1.3.3 सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों को ऑनलाईन डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो सकेगा।

3.1.4 राज्य के कमजोर सहकारी समितियों के पुनरूद्धार हेतु संस्थागत प्रणाली विकसित करना।

3.1.4.1 कमजोर सहकारी समितियों के पुनरूद्धार हेतु विधिक, वित्तीय एवं संस्थागत सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाना।

3.1.5 राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेट को दी जाने वाली सुविधाएँ, वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों के लिए सहकारी समितियों को पात्र बनाया जाना।

3.2 सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों से संबंधित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्योग, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, शिक्षा, ऊर्जा, श्रम, ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास आदि द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अभिसरण करना।

3.2.1 सहकारी क्षेत्र में कृषि एवं गैर–कृषि निवेश को बढ़ावा देना।

3.2.2 सहकारी क्षेत्र में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना।

3.2.3 सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं अन्य सहकारी समितियों को प्राधिकृत करते हुए इनकी भूमिका को सशक्त किया जाना।

3.2.4 राज्य सरकार के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति (Procurement) में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दिया जाना।

3.2.5 सहकारिता की भावना पर आधारित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम समितियों से सीखने को बढ़ावा देने के लिए सेक्टरवार सहकारी समितियों की वेब पोर्टल द्वारा निरंतर रैंकिंग हेतु समग्र प्रदर्शन सूचकांक के विकास को प्रोत्साहित करना।

3.3 सहकारी समितियों के वित्त पोषण हेतु संस्थागत वित्त की सुलभता को प्रोत्साहन देना एवं समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना।

3.3.1 सुलभ सहकारी वित्त की उपलब्धता एवं उसके लोकतांत्रिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए त्रि–स्तरीय सहकारी साख संरचना (प्राथमिक कृषि साख समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक) को संरक्षित और प्रोत्साहित करना।

3.3.2 सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशिता की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हुए व्यावसायिक संभाव्यता एवं व्यवहार्यता के आधार पर प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि साख समिति, जिले में एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्रखण्ड में सहकारी बैंक की एक शाखा और शहरी क्षेत्र में एक शहरी सहकारी बैंक की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3.3.3 सहकारी बैंकों को वित्तीय सक्षमता एवं संभावनाओं के आधार पर दायरा में वृद्धि, नई शाखाएँ खोलने और वित्तीय उत्पादों व सेवाओं में विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना।

3.3.4 बेहतर ग्राहक अनुभूति, बेहतर संचालन क्षमता तथा जोखिम एवं धोखाधड़ी निवारण हेतु सशक्त साइबर सुरक्षा रणनीति के लिए बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल प्रौद्योगिकी यथा कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर एवं कॉमन आई०टी० आधारभूत संरचना (Common IT Infrastructure) आदि के स्वीकरण को प्रोत्साहित करना।

3.3.5 शहरी सहकारी बैंक (UCBs) को इनके अम्ब्रेला संगठन (NUCFDC) के साथ मिलकर कार्य करने को प्रोत्साहित करना, ताकि UCBs को निम्नांकित क्षेत्र में सहयोग प्राप्त हो सकें –

3.3.5.1 हिस्सा पूंजी में निवेश प्राप्त करना।

3.3.5.2 अल्पकालिक ऋण के लिए सहायता प्राप्त करना।

3.3.5.3 ग्राहकों की सुरक्षा तथा बैंक संचालन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहयोग प्राप्त करना।

3.3.5.4 अपने ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की सुविधा प्राप्त करना।

3.3.5.5 दक्ष प्रबंधन विकसित करने में सहयोग प्राप्त करना।

3.3.6 सरकारी कारोबार करने के लिए Scheduled बैंक की भाँति सहकारी बैंकों को सक्षम एवं सशक्त करने में सहयोग करना।

3.3.7 दीर्घकालिक साख प्रदान करने के लिए सहकारी साख संरचना को प्रोत्साहित करना।

3.3.7.1 सहकारी साख संरचना के माध्यम से सदस्य किसानों को कम ब्याज दर एवं सही समय पर अल्पकालिक कृषि ऋण की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

3.3.8 सहकारी साख संस्थाओं यथा– जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB), प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) की समस्याओं की समग्र समीक्षा करने और उन चुनौतियों के समाधान सुझाने के साथ–साथ अल्पकालीन एवं दीर्घकालिक साख एवं DCCB के जमा (Deposits) में वृद्धि एवं वैधानिक सुधार हेतु समग्र कार्य योजना की सिफारिश करने के लिए एक कार्यबल का गठन करना।

3.3.8.1 प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं अन्य क्रेडिट सोसाइटी के लिए Deposit Insurance & Credit Guarantee Scheme के तर्ज पर Deposit & Credit Guarantee Scheme की व्यवस्था करना।

3.3.9 सहकारी समितियों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) की तैयारी, व्यवसाय व्यवहार्यता अध्ययनों और बैंक–योग्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग प्राप्त करना।

3.3.10 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड एवं अन्य राष्ट्रीय संस्थान की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने हेतु सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना ताकि उन्हें कम ब्याज दर पर साख प्राप्त हो सके।

3.3.11 राज्य सरकार के हाट/बाजार एवं सैरातों की बंदोबस्ती में सहकारी समितियों विशेषकर पैक्स, व्यापारमंडल, सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों इत्यादि को प्राथमिकता दिया जाना।

3.3.12 राज्य सरकार की योजनाओं में जहाँ कोई व्यक्ति अथवा संस्था लाभुक के रूप में शामिल है, वहाँ सहकारी समितियों के सदस्यों अथवा सहकारी समितियों को लाभुक के रूप में शामिल करते हुए उन्हें प्राथमिकता दिया जाना।

3.3.13 सरकार द्वारा संचालित जनोपयोगी योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन में सहकारी समिति की भूमिका को प्रभावी बनाना तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक अनुज्ञप्ति, उर्वरक आवंटन, प्रदूषण जाँच केन्द्र, गैस एजेंसी, धर्मकाँटा, जनवितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति, मृदा जाँच केन्द्र इत्यादि की सुविधा प्रदान करना।

3.4 सहकारिता में सहकार को बढ़ावा देना।

3.4.1 सहकारी समितियों के आपसी लाभकारी शर्तों पर नई अवसरंचना के निर्माण और मौजूदा अवसरंचना को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.4.1.1 राज्य के विभिन्न स्तरों पर निर्मित भौतिक आधारभूत संरचना के साझा उपयोग को प्रोत्साहित करना।

3.4.1.2 प्रौद्योगिकी को अपनाने (technology adoption) में आने वाली उच्च लागत को कम करने के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना (जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आदि) के विकास को प्रोत्साहित करना।

3.4.2 सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने और उनका अनुकरण करने के लिए सेक्टोरल राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय परिसंघों को सहकारी क्षेत्र में प्रचलित उत्कृष्ट कार्यों (best practices) से संबंधित सफलता की कहानियों (Success Stories) का संकलन करने एवं अनुकरणीय बनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

3.4.2.1 विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों/समितियों के साथ समन्वय करने एवं सम्बद्ध सहकारी समितियों के विकास हेतु कार्य करने के लिए यथासंभव प्रत्येक प्रक्षेत्र में राज्यस्तरीय शीर्ष सहकारी समितियों के गठन एवं कार्य को प्रोत्साहित किया जाना।

3.4.2.2 वर्त्तमान में राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत कार्यरत राज्यस्तरीय शीर्ष सहकारी समितियों को वित्तीय, तकनीकी एवं संस्थागत रूप से सक्षम एवं मजबूत बनाने की कार्रवाई किया जाना।

3.4.3 सहकारी समितियों के बीच सहयोग एवं लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए, सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को सहकारी बैंकों में अपना बैंक खाता खोलने और वित्तीय सेवाएँ लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.4.4 किसान क्रेडिट कार्ड सहित बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी हेतु PACS एवं अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी

बैंकों/बिहार राज्य सहकारी बैंक के ''बैंक मित्र'' के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना।

3.4.5 आगामी पाँच वर्षों में सभी पंचायतों/ग्राम स्तर की प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों तथा अन्य सेक्टोरल प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

3.4.6 प्राथमिक समितियों, जिला और राज्य स्तर के संघों/परिसंघों को राष्ट्रीय सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करना।

3.4.7 राष्ट्रीय/राज्य स्तर के परिसंघों/संघों को निम्नांकित कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना :–

3.4.7.1 सहकारी क्षेत्र के पुनरूद्धार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए।

3.4.7.2 अपने सदस्य सहकारी समितियों के लिए अनुकरणीय सुशासन एवं पारदर्शिता संबंधी उत्कृष्ट कार्यों (best practices) के विकास करने के लिए।

3.4.7.3 जागरूकता और सदस्यों की शिक्षा/प्रशिक्षण के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए।

-----:-----

अध्याय –4

सहकारिता के बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहन

इस नीति का उद्देश्य सहकारी समितियों के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं जीवंत संस्था के रूप में विकसित करना है। इस नीति के कार्यान्वयन से सहकारी उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी और सहकारी समितियों के सदस्यों की आय में वृद्धि होगी।

सहकारिता के बहुआयामी विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगाः–

4.1. सहकारी उद्यमों एवं व्यवसाय के अनुकूल परिवेश के विकास को प्रोत्साहित करना।

4.1.1. प्रत्येक जिला में एक **आदर्श सहकारी ग्राम** विकसित किया जाना। यह आदर्श ग्राम प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) अथवा कृषक उत्पादक सहकारी समिति पर केन्द्रित होगा। इस आदर्श सहकारी ग्राम से प्रेरणा लेकर अन्य ग्राम अपने आप को एक आत्मनिर्भर सहकारी ग्राम के रूप में विकसित कर सकेंगे।

4.1.2. राज्य में विभिन्न क्षेत्रीय विशिष्टता वाले उत्पादों यथा **मिथिला मखाना, शाही लीची, मशरूम, मालभोग केला, शहद, अनानास, कतरनी चावल, जर्दालु एवं मालदह आम** इत्यादि के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से क्लस्टर विकसित किया जाना।

4.1.3. सहकारी समितियों को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indications), बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) और ट्रेडमार्क के माध्यम से विपणन के अवसरों को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.1.4. राज्य के सहकारी उत्पादों को एक ब्राण्ड के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना। इससे बिहार के सहकारी उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा एवं उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

4.1.5. सहकारी समितियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे उनके ब्रांड का प्रदर्शन होगा और बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी।

4.1.6 सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन के लिए विशेष सहकारी विपणन संरचना के विकास को प्रोत्साहित करना।

4.2. सहकारिता के बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहन एवं सदस्यों के आय में वृद्धि करना।

4.2.1. सहकारी समितियों को निर्यात योग्य उत्पादों की पहचान एवं ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहित करना।

4.2.2. सहकारी समितियों को मूल्य संवर्द्धन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना।

4.2.3. राज्य में डेयरी सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी पंचायतों में प्राथमिक डेयरी सहयोग समिति का गठन कर उनके उत्पाद को विश्व स्तरीय Market linkage उपलब्ध कराना।

4.2.4. राज्य के मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार सहित मत्स्यपालन से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना।

4.2.5. जैविक उत्पाद बाजार में अग्रणी बनने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

4.2.6. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सहकारी क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और राज्य के कुल निर्यात में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

4.2.7. प्राथमिक सहकारी समितियों के किसान सदस्यों के माध्यम से मिलेट्स (Millets) उत्पादन को प्रोत्साहित करना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा इसे नियमित आहार का एक प्रमुख हिस्सा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए NAFED, NCCF इत्यादि जैसे राष्ट्रीय सहकारी समितियों को इसकी खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.8. कृषि पद्धति (cropping pattern) में परिवर्तन करके सहकारी समितियों के किसान सदस्यों द्वारा सब्जी, दलहन, तिलहन और मक्का के उत्पादन में वृद्धि करना तथा दलहन व तिलहन में देश को ''आत्मनिर्भर'' बनाने एवं आयात पर निर्भरता घटाने के लिए NAFED, NCCF इत्यादि जैसी राष्ट्रीय सहकारी समितियों को इनकी खरीद हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.9. कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को घटाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (Ethanol blending Programme) को सहयोग देने हेतु सहकारी चीनी मिल समितियों को मक्का सहित वैकल्पिक अनाजों का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना।

4.2.10. सहकारी समितियों के सदस्यों की आय को बढ़ाने के लिए पूंजी प्रवाह (capital infusion) द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण सहित उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

4.2.11. सहकारी समितियों को सौर ऊर्जा, बायो गैस, ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहित करना, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके।

4.2.12 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों, बुनकरों, मत्स्यजीवी आदि के लिए बीमा कवरेज और जोखिम प्रबंधन तंत्र को प्रोत्साहित करना, ताकि प्राकृतिक आपदा या बाजार के उतार–चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

4.2.13. बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये आगामी 10 वर्षों में राज्य के 05 करोड़ लोगों को सहकारिता क्षेत्र से जोड़ने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कार्यबल का गठन करना।

———————:———————

अध्याय –5

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना।

राज्य के सहकारी समितियों को कुशल प्रबंधित आर्थिक संस्था के रूप में विकसित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी (latest technologies) को अपनाने एवं कार्य कुशलता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी अवसरंचना, उत्पादों एवं सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके। साथ ही सहकारी समितियों को भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने एवं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नांकित गतिविधियों को सहकारिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

5.1 प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी स्वीकरण को प्रोत्साहन।

5.1.1 डेटा आधारित निर्णय लेने और बेहतर सेवा उपलब्धता के लिए 'कोऑपरेटिव डाटा बेस' (cooperative database) तैयार करना और उसे विकसित करने में सहयोग करना। इस पहल का लक्ष्य सहकारी समितियों में उच्च–गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रहण करना एवं नवाचार तथा नई सेवाओं के सृजन के लिए उसे हितधारकों को आसानी से उपलब्ध कराना होगा।

5.1.2 विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों की सहकारी समितियों के तकनीकी उन्नयन में सक्रिय सहयोग के लिए राज्य स्तरीय परिसंघों को प्रोत्साहित करना।

5.1.3. ज्यादा ग्राहकों तक पहुँच और उत्पादों का बेहतर मूल्य पाने के लिए सहकारी समितियों को GeM, ONDC जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाना।

5.1.4 सहकारी उत्पादों के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विकास को प्रोत्साहित करना।

5.2 सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कुशल प्रबंधित आर्थिक इकाई में रूपांतरित करना।

5.2.1 सहकारी उद्योगोन्मुख (Industry oriented) शिक्षा और आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण के लिए समेकित, मानकीकृत और गुणवत्ता के प्रति सजग राज्य स्तर की संस्थागत संरचना के निर्माण द्वारा सहकारी समितियों के संगठनात्मक प्रबंधन को दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक **राज्यस्तरीय संगठन** की स्थापना किया जा सकता है जो :–

5.2.1.1 राष्ट्रीय स्तर के निकाय से संबद्धता एवं समन्वय के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की मौजूदा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के राज्य स्तरीय नेटवर्क का विकास कर सकेगा और शिक्षकों की नियुक्ति, प्रवेश मानदंड, अध्ययन सूची, पाठयक्रम, इत्यादि को विनियमित कर सकेगा।

5.2.1.2 सहकारी क्षेत्र के लिए युवा और योग्य श्रमबल की स्थायी और पर्याप्त आपूर्त्ति सुनिश्चित कर सकेगा।

5.2.1.3 कौशल संबंधी पाठयक्रमों के संचालन के लिए मौजूदा कौशल केंद्रों/संस्थानों के साथ यथोचित रूप से तालमेल बिठा सकेगा।

5.2.1.4 सहकारी क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठयक्रम व अध्ययन सूची तैयार कर सकेगा।

5.2.1.5 सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संचालन और प्रोत्साहन कर सकेगा।

5.2.1.6 सहकारी और निजी क्षेत्रों से प्रायोजित अनुसंधान की प्रथा के संस्थानीकरण का प्रयास कर सकेगा।

5.2.1.7 सहकारी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्यूबेशन और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्रों का विकास कर सकेगा।

5.2.1.8 आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने के लिए नए और उभरते क्षेत्रों में Social Enterprise Incubators (SEIs) को प्रोत्साहित कर सकेगा।

5.2.2 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सहकारिता केंद्रित पाठयक्रमों को प्रोत्साहित करना।

5.2.3 सहकारी शिक्षा, कौशल विकास और सहकारिता के विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न प्रकार के पाठयक्रमों में सहकारिता से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री को तैयार करने के लिए सहकारी समितियों और राज्य सरकार के पास उपलब्ध सहकारी शिक्षा फंड (CEF) और इससे संबंधित राज्य सरकार के अन्य विभागों के पास उपलब्ध सहकारी शिक्षा फंड के उपयोग को बढ़ावा देना।

5.2.4 प्रस्तावित राज्य स्तरीय संगठन (5.2.1) द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के लिए सहकारी क्षेत्र में नवाचार और इंक्यूबेशन को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत प्रणाली की स्थापना में सहायता प्रदान करना—

5.2.4.1 स्थानीय संसाधनों पर आधारित टिकाऊ एवं नवाचार आधारित कृषि एवं व्यावसायिक गतिविधियों तथा प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार करना।

5.2.4.2 उभरते क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को इंक्यूबेट करना।

5.2.4.3 सहकारी क्षेत्र में उद्यम कौशल को प्रोत्साहित और प्रसारित करना।

5.2.5 बोर्ड के सदस्यों एवं विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों में नेतृत्व क्षमता, प्रबंधकीय दक्षता एवं अन्य गुणों के विकास हेतु प्रशिक्षण को अनिवार्य प्रथा के रूप में अपनाने के लिए सहकारी समितियों को उनकी उपविधि में संशोधन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।

5.2.6 नई सहकारी समितियों सहित सभी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने हेतु समयबद्ध प्रयास करना।

5.2.7 ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शोधकर्त्ताओं एवं विद्वानों को सहकारिता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डॉक्टरेट और पोस्ट—डॉक्टरेट के दौरान अनुसंधान करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सहकारी समितियों/परिसंघों को अनुसंधान फेलोशिप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

5.2.8 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों, परिसंघों और संघों को सहकारी शिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना। इन केंद्रों की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए इनमें क्षमता निर्माण और प्रसार संबंधी कार्यकलापों के लिए स्थानीय भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना।

5.2.9 सदस्य सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए परिसंघों को मुख्य प्रदर्शन सूचकांक (Key performance indicators) विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सहकारी समितियों की क्षमता की पहचान के लिए सेक्टोरल रेटिंग (sectoral rating) का विकास किया जाना।

5.2.10 प्रौद्योगिकी–समर्थित भर्ती सुधारों के माध्यम से उत्तरदायी शासन, नेतृत्व और कर्मियों की क्षमता को बढ़ावा देकर उच्च स्तरीय कुशलता को प्रोत्साहित करना।

——————:——————

अध्याय –6

सहकारी क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देना

राज्य के सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज के सभी वर्गों के व्यापक प्रतिनिधित्व खासकर युवाओं और महिलाओं को सहकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाए जाने की आवश्यकता है, इससे सहकारिता को एक जन–आंदोलन के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकेगा एवं सहकारी परिसंघों/संघों/समितियों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

सहकारी क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगाः–

6.1 समावेशिता और सदस्य केन्द्रीयता को प्रोत्साहित करना।

6.1.1 समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों (पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, आदि) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना।

6.1.2 मात्स्यिकी, डेयरी, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, लघु वनोत्पाद, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, शहद उत्पादन, सहित अन्य क्षेत्रों में कमजोर एवं सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त करना।

6.1.3 लिंग आधारित एवं कमजोर वर्गों, आदि से संबंधित असंकलित आँकड़ों के संकलन में सहयोग करना और आवश्यक उपयोग हेतु सहकारी डेटाबेस में उन्हें शामिल करने के लिए उपलब्ध कराना।

6.1.4 सदस्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों की सहकारी समितियों को मॉडल उपविधियाँ तैयार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके :–

6.1.4.1 सहकारी समिति के कार्यकलाप में सदस्यों की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

6.1.4.2 सहकारी समिति के सदस्यों के सुझाव एकत्रित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना और निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

6.1.4.3 सहकारी समिति में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की सदस्यता सुनिश्चित करना।

6.1.4.4 सहकारी समिति के निर्णय प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.1.4.5 सहकारी समिति के पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करना।

6.1.4.6 सहकारी समिति के विभिन्न पदों पर युवाओं और सुयोग्य श्रमबल की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना।

6.1.5 प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए परिसंघों तथा संघों को निम्नलिखित हेतु प्रोत्साहित करनाः–

6.1.5.1 सहकारी समितियों के सदस्यों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षित, संवेदनशील और जागरूक करने के लिए सहकारी सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित प्रभावशाली और अनवरत (continuous) सदस्य शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना।

6.1.5.2 सहकारी समितियों के सदस्यों की उद्यम कुशलता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

6.1.5.3 सहकारी समितियों के सदस्यों की आय वृद्धि की दिशा में कार्य करने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।

6.2 जन अंदोलन के रूप में सहकारी समितियाँ

6.2.1 विभिन्न कक्षाओं के स्कूली पाठयक्रमों में सहकारिता को एक विषय के रूप में शामिल करना।

6.2.2 युवा पीढ़ी, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को सहकारी समितियों के लाभ से अवगत कराने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए परिसंघों तथा संघों को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके फलस्वरूप सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे सदस्यता में वृद्धि होगी।

6.2.2.1 सहकारी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों में सामूहिक जागरूकता और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना।

6.2.2.2 गरीबों एवं समाज के कमजोर/सीमांत वर्गों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली सफलता की कहानियों (Success stories) का प्रदर्शन एवं प्रसारण करना।

6.2.2.3 सफलता की कहानियों (Success stories) का प्रचार–प्रसार करने के लिए सहकारी परिसंघों/संघों/समितियों की मौजूदा सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

6.3 सहकारी सूचना केन्द्र की स्थापना :– राज्य के कृषक सदस्यों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों के लिए एक Single Point सूचना केन्द्र की स्थापना करना, जिसके द्वारा सहकारिता से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी सरल, सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा सके।

––––––:––––

अध्याय –7

नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार

इस नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य सरकार सहकारिता के नए तथा उभरते हुए क्षेत्रों में प्रवेश के साथ–साथ विस्तार को प्रोत्साहित कर सकेगी। नए एवं उभरते हुए क्षेत्रों में मुख्य रूप से कार्य की प्रकृति, साझा उद्देश्य, व्यावसायिक पारिस्थिति आदि कारकों के दृष्टिगत प्रतिबद्ध समूहों (Cohesive Group) को नए सहकारी समितियों के गठन तथा इन्हें सुदृढ़ करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा। नई सहकारी समितियों के गठन के क्रम में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत प्रशासनिक ईकाई क्षेत्र अंतर्गत नियमानुसार यथासंभव ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की प्राप्ति हेतु सहकारिता की भूमिका को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार हेतु राज्य द्वारा निम्नांकित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा:–

7.1 वर्त्तमान में कार्यरत प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा इनके कार्यक्षेत्र में निवास कर रहे लोगो को यथा–आवश्यक सेवाओं की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता एवं व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा। ये संस्थाएँ कृषि आदानों की उपलब्धता के साथ–साथ कॉमन सर्विस सेन्टर, जन औषधि केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान, पेट्रोल पंप, किसान समृद्धि केन्द्र आदि की सेवाएँ भी प्रदान कर सकेगी।

7.2 नए एवं उभरते क्षेत्रों जैसे कि कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक फसलों यथा औषधीय पौधों, फूल, मखाना, शहद, मशरूम, उच्च मूल्य वाली जडी–बूटियाँ, मसाले आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के प्रयोजनार्थ इच्छुक तथा प्रतिबद्ध समूहों की सहकारी समितियों के गठन एवं विकास को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

7.3 सेवा क्षेत्र में सहकारिता का विस्तार करना।

7.3.1 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य स्थानीय सेवाओं यथा बिजली मिस्त्री, प्लंबर मिस्त्री, घरेलू उपकरणों के वार्षिक रख–रखाव, ड्रेनेज सफाई, शादी–विवाह/अन्य इस प्रकार के आयोजन आदि से संबंधित सेवा क्षेत्रों में प्रवेश हेतु सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इन सेवाओं में संलग्न होने वाली समितियों के लिए मोबाईल आधारित सेवा सूचना प्रणाली को अपनाने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

7.3.2 कार्यों में विविधता तथा बड़े क्षेत्रों जैसे बीमा कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के प्रयोजनार्थ सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

7.4 प्राथमिक कृषि साख समितियों के कृषक सदस्यों को खाद्य प्रसंस्करण, व्यवसायिक कृषि, जैविक कृषि, संयुक्त कृषि, जलवायु अनुकूल कृषि इत्यादि अपनाने; खेतों के

रिक्त भाग में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन; बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, नर्सरी व्यवसाय आदि कार्यों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

7.5 विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर नए क्षेत्रों में प्रवेश के दृष्टिकोण से सहकारी समितियों के गठन, उपविधि की तैयारी, सहकारी समिति निबंधन आवदेन की तैयारी आदि से संबंधित सहायता हेतु संस्थागत व्यवस्था की जा सकेगी, जिसके माध्यम से ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सहकारी समिति के गठन एवं संचालन हेतु सुविधा प्रदान किया जा सकेगा।

———————:——————

अध्याय –8

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना

इस नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा सकेगा। मानकीकृत उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं सहकार–केन्द्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन एवं सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन के परिवेश को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं अभ्यर्थियों द्वारा नौकरी ढूढ़ने की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाकर सुविधाजनक परिवेश का विकास किया जा सकेगा।

इस नीति के उद्देश्यों में निम्नांकित शामिल हैः–

- सहकारी समितियों की सफलता की कहानियों (Success stories) और सहकारिता के क्षेत्र की बड़ी हस्तियों की जीवनियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रेरित करना।
- युवाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों तथा सहकारी समितियों की कार्यशैली की उचित समझ को विकसित करने के लिए सहकारिता केंद्रित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।
- सहकारी इतिहास, विधि, अंकेक्षण एवं लेखांकन, वित्त, सहकारी समितियों के प्रशासन एवं संचालन तथा सहकारिता केंद्रित व्यवसाय प्रबंधन जैसे विविध विषयों पर व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सहकारी क्षेत्र में नियोजन प्राप्त करने के लिए युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना।
- इस नीति के कंडिका 5.2.1 में उल्लेखित राज्यस्तरीय संगठन एवं उससे संबद्ध संस्थानों के द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधी कार्यों का नेतृत्व किया जा सकेगा।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने के उद्‌देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगाः–

8.1. युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना :–

8.1.1. सम्मेलनों, कार्यशालाओं, नाटकों, फिल्मों और वीडियो के माध्यम से तथा विद्यालयों, कॉलेजों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सहकारिता से संबंधित सफलता की कहानियाँ साझा कर जिला–स्तर पर युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।

8.1.2. सहकारी समितियों के कुशल प्रबंधन हेतु भावी सहकारी नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करना।

8.2. मानकीकृत उच्च–गुणवत्तापूर्ण एवं सहकार–केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना :–

8.2.1. राष्ट्रीय/राज्य–स्तरीय सहकारी समितियों/परिसंघो, आदि सहित सभी हितधारकों के साथ बहुस्तरीय परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से अल्पकालिक अध्ययन, डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों के लिए सहकार केंद्रित पाठ्यक्रमों की पहचान करना, तैयार करना और उनका विकास करना। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र, रोजगार के लिए तैयार हों और सहकारी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और कौशल के अनुसार उचित नौकरी प्राप्त कर सकें।

8.2.2. सहकारिता से संबंधित पाठ्यक्रमों को सभी के लिए सुगम बनाने हेतु उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शीर्ष संगठन द्वारा प्रमाणित डिप्लोमा, डिग्री और अल्पकालिक अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसकी व्यवस्था विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान में करना तथा इंटर्नशिप की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

8.3. सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन के परिवेश को बढ़ावा देना।

8.3.1. सहकारी समितियों में तकनीकी और गैर–तकनीकी नौकरियों के लिए बुनियादी स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रम प्रदान करने वाले केन्द्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व या उनके द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों का एक डेटाबेस बनाना।

8.3.2. साझेदारी/समझौता ज्ञापनों के माध्यम से सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का राज्य स्तरीय नेटवर्क का विकास करना एवं उसे राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंद्ध कराना।

8.3.3. ग्रामीण और अर्द्ध–ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी क्षेत्र में रोजगार–योग्य बनाने के लिए उनमें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना एवं इसकी व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से करना।

8.3.4. राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सहकारी कार्यप्रणाली तथा विशिष्ट उद्देश्य के निमित्त गठित सहकारी समितियों के कार्यप्रणाली से संबंधित पाठयक्रम संचालित करना।

8.4. सहकारी क्षेत्र में अंशकालिक विषय विशेषज्ञों (Part time resource persons), उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय के रूप में सहकारी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना।

8.4.1. राज्य स्तरीय संगठनों (कंडिका 5.2.1 में उल्लेखित) यथा आवश्यक शीर्ष सहकारी संस्था से समन्वय स्थापित करते हुए संबंद्ध संस्थानों के लिए अतिथि संकाय और अंशकालिक विषय विशेषज्ञों सहित विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों आदि के लिए एक मानकीकृत भर्ती प्रक्रिया और पात्रता शर्तों (जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि) का विकास कर सकेगी।

8.4.2. राज्य स्तरीय संगठन से संबद्ध संस्थानों में शिक्षण कर्मियों के विभिन्न स्तरों के लिए यथोचित और आकर्षक वेतन संरचना तैयार करना।

8.4.3. सहकारी क्षेत्र में मौजूदा शिक्षकों और अनुदेशकों की शैक्षणिक क्षमता बढ़ाते हुए एक सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से नए प्रमाणित शिक्षकों और अनुदेशकों का समूह बनाना।

8.4.4. सहकारी शिक्षकों, अनुदेशकों, विशेषज्ञों सहित उनके स्थान, अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित सूचना का राज्यव्यापी डेटाबेस स्थापित करना एवं उसे राष्ट्रव्यापी डेटाबेस से संबद्ध करना।

8.5. **सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को सरल करके सुविधाजनक परिवेश का विकास करना।**

8.5.1. प्रस्तावित राज्य स्तरीय संगठन (कंडिका– 5.2.1 में उल्लेखित) के माध्यम से राज्य स्तरीय डिजिटल सहकारी रोजगार प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रबंधन करना। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से समन्वय करते हुए सहकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए नए अवसरों एवं उपलब्ध श्रमबल की उपलब्धता का ऑनलाईन पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा।

8.6 सहकारी क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने हेतु विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए सहकारी स्टार्टअप फंड की स्थापना को प्रोत्साहित करना, जिससे युवा पीढ़ी सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक आजीविका अपना सके।

——————:—————

अध्याय –9

निगरानी और कार्यान्वयन संरचना

9.1. बिहार राज्य सहकारिता नीति–2026 के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों/परिसंघों/संघों से सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी। इसमें सेक्टोरल विकास संस्थान जैसे NABARD, NDDB, NFDB इत्यादि भी शामिल हो सकेंगे।

9.2. इस नीति का प्रभावशाली और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग में एक ''कार्यान्वयन प्रकोष्ठ'' स्थापित किया जाएगा, जिसे विषयवस्तु, समन्वय, निगरानी, रिपोर्टिंग, इत्यादि पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

9.3. इस नीति के आधिकारिक रूप से जारी होने के तुरंत बाद ही नीति कार्यान्वयन की एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कर कार्यान्वित किया जाएगा।

9.4. इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित द्वारा एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जाएगीः–

9.4.1 समग्र मार्गदर्शन, अंतर्विभागीय समन्वय, नीति कार्यान्वयन की समीक्षा आदि के लिए मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में ''सहकारी नीति पर राज्य संचालन समिति'' का गठन किया जाएगा। इस समिति में सदस्य के रूप में राज्य सरकार के संबंधित विभागों को शामिल किया जाएगा।

9.4.2 राज्य स्तर पर गठित राज्य सहकारी विकास समिति द्वारा राज्य सहकारिता नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं समन्वय किया जाएगा।

9.4.3 जिला स्तर पर गठित जिला सहकारी विकास समिति द्वारा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं समन्वय किया जाएगा।

——————:———————